रजिस्ट्री सं० डी 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 265] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 18, 1972/आश्विन 26, 1894
No. 265] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 1972/ASVINA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 18th October 1972*

**G.S.R. 443(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 637, read with sub-section (1) of section 10E, of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs, No. G.S.R. 686, dated the 4th May, 1971, the Central Government hereby delegates to the Company Law Board the powers and functions of the Central Government under the said Act other than those under the following provisions of the said Act, namely:—

Second proviso to section 1.

Sub-section (4A) of section 10E.

Sub-sections (4), (5) and (6) of section 81.

Sub-section (4) of section 198.

Section 259.

Section 268.

Section 269.

Sub-section (2) of seciton 274.
Sub-sections (1), (3), (4) and (5B) of section 309.
Section 310.
Section 311.
Sub-section (4) of section 316.
Section 370.
Section 372.
Sub-section (2) of section 385.
Sub-section (4) of section 386.
Section 387.
Section 388.
Section 388B.
Section 388C.
Sub-sections (1), (3) and (5) of section 388E.
Section 410.
Section 448.
Section 609.
Sub-section (1) of section 619A.
Section 620.
Section 620A.
Section 620B.
Section 620C.
Section 624A.
Clause (b) of sub-section (1) of section 637.
Section 638.

[No. F. 2/17/72-CL.V.]

P. B. MENON, Jt. Secy.

कम्पनी कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 1972

सा० का० नि० 443(अ).—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10ङ की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 637 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 686, तारीख 4 मई, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम के अधीन की केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों को जो, उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन की शक्तियों और कृत्यों से भिन्न हों, कम्पनी ला बोर्ड को एतद्द्वारा प्रत्यायोजित करती है, अर्थात् :—

धारा 1 का द्वितीय परन्तुक
धारा 10ङ की उपधारा (4क)
धारा 81 की उपधारा (4), (5) और (6)
धारा 198 की उपधारा (4)

धारा 259

धारा 268

धारा 269

धारा 274 की उपधारा (2)

धारा 309 की उपधारा (1), (3), (4) और (5ख)

धारा 310

धारा 311

धारा 316 की उपधारा (4)

धारा 370

धारा 372

धारा 385 की उपधारा (2)

धारा 386 की उपधारा (4)

धारा 387

धारा 388

धारा 388ख

धारा 388ग

धारा 388ङ की उपधारा (1), (3) और (5)

धारा 410

धारा 448

धारा 609

धारा 619क की उपधारा (1)

धारा 620

धारा 620क

धारा 620ख

धारा 620ग

धारा 624क]

धारा 637 की उपधारा (1) के खण्ड(ख)

धारा 638

[सं० फा० 2/17/72-सी०एल०वी०]

पी० वी० मैनन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972